

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक-558/23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक:- 28/03/2026

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


विषय : - जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मंदिर मार्ग मोटर मार्ग से चैतरणी-सिरोखोमा-सिटुणा-बैरागना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.00 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 946/X-4-16/1(124)/2016 दिनांक 16.09.2016।
महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड स्तर के पत्र संख्या 946/X-4-16/1(124)/2016 दिनांक 16.09.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है:-

बि० सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावित्तित भूमि के बदले 8.00 हे० सिविल भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी, उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावित्तित भूमि के बदले 8.00 हे० सिविल भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 20,26,656.00 (बीस लाख छब्बीस हजार छः सौ छप्पन) की धनराशि ऑन-लाईन आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जमा की जा चुकी है। संलग्न- अमलदरामद दरामद की प्रति एवं चालान की प्रति। पेज नं० 01 से 13 नं०।
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों पर रु० 22,79,058.00 (बाईस लाख उन्नयासी हजार अठ्ठावन) की धनराशि ऑन-लाईन आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
03	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि रु०33,80,000.00 (तीस लाख अस्सी हजार) ऑन-लाईन आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रभागीय वनाधिकारी वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक सं०-665/12-1, दिनांक-04.08.2022 द्वारा अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि रु० 17,91,400.00 (सत्तरह लाख इकानब्बे हजार चार सौ) मात्र का भुगतान आर०टी०जी०एस० 323086012082 दिनांक-27.03.2023 द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। संलग्न:- 14 नं०।

04	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है। तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न।
05	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधी प्रर्वधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०पी०-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक- II भूतल सी०जी०ओ०, कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई, दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई, धनराशि का बैंक ड्रॉपट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दुसरी सभी निधियों की धनराशि का आक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। तत्पश्चात् ऑन-लाईन अपलोड कर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन कर ऑन-लाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कि जायेगी।
06	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यालय एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न। 14-15 नं०
07	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र मूल में प्रस्ताव पूर्व ही प्रेषित की जा चुकी है, पुनः छाया प्रति संलग्न है। 16 से 25 नं०
08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोष जनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। शर्त मान्य है।
09	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्त शर्त संख्या 01 से 08 तक का अनुपालन कर किया गया है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार


अधिशारी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

28-3-26

पत्रांक- /23 एल.ए.

तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता (प्रथम), प्रा. खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- खण्डी अमीन/वन भूमि सहायक, प्रा. खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

GUPESHWARI
Phone : 01372-252172

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-06-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6112970959
MoEF/SG File No.	1(124)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(In Rs)	1731400/-

Amount In Words :Seventeen Lakh Ninety-One Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896112970959 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of ld to Email: fcsblr@unlonbankofindia.bank , epurse@ ubin0903710@unlonbankofindia.bank
SBINR5202306 2056302246

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Chamoli

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
By गापेश्वर

भारतीय स्टेट
बैंक
20
Kish

!! आदेश !!

जनपद चमोली अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी-सिरौखीमा-सिटुणा-बैरगना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 04.00 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सम्बन्ध में वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विन्हित 04.00 हेक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-946/X-4-16/1(124)/2016 दिनांक 16.09.2016 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-946/X-4-16/1(124)/2016 दिनांक 16.09.2016 द्वारा प्राविधानित शर्तों के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी ज्योतिर्मठ के पत्र संख्या-20/रोका0-क्षतिपूरि वृक्षारोपण/2025-2026 दिनांक 20.12.2025 के अनुक्रम में जनपद चमोली अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी-सिरौखीमा-सिटुणा-बैरगना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 04.00 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम तपोण, पटवारी क्षेत्र लंगसी, तहसील ज्योतिर्मठ, जनपद चमोली की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या-05, खसरा संख्या-974 रकवा 10.090 हेक्टेयर मध्ये 08.00 हेक्टेयर, श्रेणी-09 (03) (ड) बँजर भूमि को उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर,
दिनांक: मार्च 2025

(गौरव कुमार)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली

संख्या- 4091 / छब्बीस-11 (2025-2026) दिनांक: गोपेश्वर: 25 मार्च 2025
प्रतिलिपि- निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 03 अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 04 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05 आयुक्त गढवाल, मण्डल पौड़ी।
- 06 उप जिलाधिकारी/तसीलदार ज्योतिर्मठ।
- 07 प्रभागीय वनाधिकारी, बद्दीनाथ/केंदारनाथ, वन प्रभाग, गोपेश्वर।
- 08 भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली (गोपेश्वर)
- 09 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(Handwritten Signature)
अधिशासी अभियन्ता,
क्षेत्रीय खण्ड लोक निर्माण वि०
गोपेश्वर

(Handwritten Signature)
जिलाधिकारी,
चमोली।
चमोजी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण प्रपत्र

- परियोजना का नाम :- राजस्व भोजनता के अन्तर्गत निम्नलिखित दरौली में गोपेश्वर चौदर मोटर मार्ग के बंजरगी - सिरोखीमा - नीसर सिटुण - वंरागता मोटर मार्ग
- परियोजना की ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :-
- प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
- परियोजना में प्रभावित वन भूमि (है०) :- 4.00 है०
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/चयनित भूमि (है०) :- 8.00 है०
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम :- तपोठा सिविल
- प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- प्रांतीय स्कोड लोच निर्माता विभाग गोपेश्वर
- संयुक्त निरीक्षण की तिथि :-
- संयुक्त निरीक्षण प्रतिनिधियों की संख्या एवं विवरण (राजस्व विभाग/प्रस्तावक विभाग/वन विभाग) :-


क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.	श्री मैत्रि त्वाल	वन द्वागा	बद्रीनाथ वन प्रभाग	[Signature]	
2.	श्री जय सिंह रात	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग	[Signature]	
3.	वीरेंद्रसिंह नेगी	अमान	प्रांतीय स्कोड	[Signature]	
4.	प्रिया बडुगुणा	मनिष्ठ अभियंता	प्रांतीय स्कोड लोच निर्माता	[Signature]	
5.	मनोहर सिंह	वन द्वागा	बद्रीनाथ वन प्रभाग	[Signature]	
6.					

- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/प्रस्तावित भूमि का विवरण (राजस्व विभाग) :-
 - क्षेत्र/स्थल का नाम - तपोठा v- खाता संख्या -
 - कुल क्षेत्रफल (है०) - 10.090 है० vi- खसरा संख्या - 974
 - भूमि का प्रकार - (सिविल/) vii- चयनित खसरे का कुल रकवा - 8.00 है०
 - भूमि की श्रेणी - v-3 (इ) - बंजर श्रेणी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम- तपोठा भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल- 8.00 है० है, तथा चयनित भूमि वन पंचायत की भूमि नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित खसरो में अर्जित रकवा पूर्व में किसी भी अन्य परियोजना/वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/हस्तान्तरित/आवंटन नहीं किया गया है।

अनिवार्य संलग्नक (✓ कर अंकित करें)

- उक्त भूमि का राजस्व मानचित्र (जिसमें चयनित क्षेत्र को खसरावार अंकित किया गया है) की छायाप्रति।
- उक्त भूमि के खाता-खतौनी अभिलेख की छायाप्रति।


 वन क्षेत्राधिकारी चमोली रेंज बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
 सहायक अभियन्ता प्रा० ख० लो० नि० वि० गोपेश्वर
 राजस्व विभाग प्रतिनिधि तहसील- चमोली प्रमोद - 2 पर
 हस्ताक्षर [Signature]

11. चयनित/प्रस्तावित भूमि की सीमा की स्थिति (प्रस्तावक विभाग/वन विभाग) :-

- i- चयनित/प्रस्तावित भूमि का खसरावार मीके पर अस्थाई चिन्हीकरण किया गया है। (हा/नहीं).....
- ii- चयनित खसरों का मीके पर अस्थाई चिन्हीकरण के परचात पाया गया क्षेत्रफल (हे०)..... १.०० हे०
- iii- कुल क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के पैचों की संख्या-..... 1 न०
- iv- चयनित खसरों की एक खसरे से दूसरे खसरे (यदि अलग-अलग पैच में वृक्षारोपण क्षेत्र हों) तक की दूरी (मीटर).....
- v- चयनित/प्रस्तावित भूमि का आसपास की ग्रामसमाजों तथा वन पंचायत संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है (हां/नहीं).....
- vi- चयनित/प्रस्तावित भूमि के जी०पी०एस० मान (न्यूनतम 06) प्रत्येक पैच का 06 G.P.S पृथक-पृथक जो क्षेत्र के चारों तरफ का प्रतिनिधित्व करता हो-

क्र.सं.	अक्षांश	देशान्तर	क्र.सं.	अक्षांश	देशान्तर
1	79°28'11.36"	30°29'50.16"	5	79°28'19.26"	30°29'44.94"
2	79°28'15.26"	30°29'49.6"	6	79°28'10.81"	30°29'35.16"
3	79°28'17.43"	30°29'45.59"	7	79°28'8.5"	30°29'36.12"
4	79°28'23.14"	30°29'45.17"	8	79°28'10.68"	30°29'45.62"

नोट : चयनित/प्रस्तावित भूमि की सीमा पर G.P.S. डिवाइस द्वारा ट्रैक बनाकर संचारित किया जाय।

vii- अन्युक्ति/अन्य विवरण (यदि कोई हो).....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम- तपोठा स्थित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 8.00 हे० है, का दिनांक 11/11/2024 को प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र का हरियाली का घनत्व

(%) है, जिस पर विभिन्न प्रजाति

के कुल पौधों का रोपण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया।

हस्ताक्षर

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

मुहर सहित

हस्ताक्षर

प्रस्तावक विभाग प्रतिनिधि

मुहर सहित

हस्ताक्षर

वन क्षेत्र विकास विभाग

मुहर सहित

वन क्षेत्र विकास विभाग

प्रमोदी देवी

11/11/2024

वन क्षेत्र विकास विभाग

प्रमोदी देवी

11/11/2024

वन क्षेत्र विकास विभाग

प्रमोदी देवी

11/11/2024

वन क्षेत्र विकास विभाग

प्रमोदी देवी

11/11/2024

वन क्षेत्र विकास विभाग

प्रमोदी देवी

11/11/2024

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

का नाम- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्दीनाथ के विकासखण्ड दशोली में गोपेश्वर र मोटर मार्ग से चैतरणी-सिरोखौमा-सेटुणा-वैरागना मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:-तपोण सिविल, क्षेत्रफल = 8.00 है०					
रोपित किए जाने वाली पौधों की कुल संख्या (कुल क्षेत्रफल x 1100) :- 8.00x1100= 8800 पौध					
रोपण हेतु प्रजाति:-					
क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य					
1	साईट स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	8.00	है०	1453.96	11631.68
2	स्थल की झाड़ी कटान आदि कार्य रोपण से पूर्व (साधारण झाड़ियाँ)	8.00	है०	2481.43	19851.44
3	पत्थरों की कुली दीवाल 15 सेमी० बुनियाद सहित 1.20 मी० ऊँचाई तथा 45 सेमी० चौड़ा मय दुलान 500 मी० तक (81 घ०मी० प्रति है० 150 र०मी० प्रति है०) (1x0.45x1.20)	8.00	घ०मी०	78554.61	628436.88
4	गडढे खुदान व रेखांकन चूना सहित गडढे खुदान (0.30x0.30x0.45)	8800	सैकड़ा	1622.82%	142808.16
5	वनीकरण क्षेत्र में कन्टर नाली एवं कन्टूर फरों का रेखांकन (235 र०मी० प्रति है०)	1880	र०मी०	1.92	3609.60
6	कन्टूर नाली खुदान व ड्रैसिंग 3.00x0.45x0.30 मी०	1880	र०मी०	135.73	255172.40
7	घास लगाने पर व्यय 5 जड़ प्रति र०मी०	9400	प्रति सैकड़ा	236.05%	22188.70
8	पौध की कीमत एक वर्ष पुरानी (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित)	10560	पौध	24.71	260937.60
9	निरीक्षण बटिया	480.00	वर्ग मी०	38.36	18412.80
उपयोग					1363049.26
1	पौधालय विकास एवं अनुसंधान कार्य-2 प्रतिशत	8.000	है०	—	27260.99
2	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-0.50 प्रतिशत	8.000	है०	—	6815.25
3	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है०	—	6815.25
4	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है०	—	13630.49
5	कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है०	—	13630.49
6	अन्य आकस्मिक व्यय- 1 प्रतिशत	8.000	है०	—	13630.49
प्रथम वर्ष का योग					1444832.22
द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य					
1	वृक्षारोपण से पूर्व झाड़ी कटान (लेंटाना, गाजर घास, कालाबांसा)	8.00	है०	2481.43	19851.44
2	गडढों का भरान करना (30x30x45) से०मी०	8800	प्रति सैकड़ा	295.06%	25965.28
3	पौध दुलान कार्य	8800	प्रति सैकड़ा	1474.72%	129775.36
4	पौध रोपण कार्य	8800	प्रति सैकड़ा	590.11%	51929.68
5	घास का दुलान			L.S.	7000.00
6	कन्टूर खाइयों में घास रोपण व बीज बोना			L.S.	10000.00
7	रोपण के पश्चात प्रथम निराई-गुड़ाई मलचिंग आदि कार्य	8800	पौध	4.06	35728.00
8	शीतकालीन द्वितीय निराई-गुड़ाई मलचिंग आदि कार्य	8800	पौध	3.54	31152.00
9	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	8800	पौध	2.94	25872.00
10	घेरबाड़ के किनारे हेतु कटिंग बनाना	8.000	है०	948.61	7588.88
11	मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई-गुड़ाई व वनीकरण सुरक्षा हेतु व्यय 08 माह	8.000	है०	1285.50	82272.00
उपयोग					427134.64

कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹0)	योग
1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		2135.67
2.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		2135.67
12.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		4271.35
12.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		4271.35
12.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		1645.44
12.6 साईन बोर्ड लगाना (3x4 फीट) कम्पलीट कार्य	8.000	है0		1300.00
द्वितीय वर्ष का योग				442894.12
तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 20 प्रतिशत पौधों (2 वर्ष की पौध) की क्षतिपूर्ति (कीमत व दुलान मूल्य)	570	पौध	54.84	31258.80
3 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	570	पौध	4.06	2314.20
4 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	570	पौध	3.54	2017.80
5 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
उपयोग				189586.32
6.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		1895.86
6.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		947.93
6.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		1895.86
6.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		1895.86
6.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		3791.73
तृतीय वर्ष का योग				200013.57
चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 10 प्रतिशत पौधों (2 वर्ष की पौध) की क्षतिपूर्ति (कीमत व दुलान का मूल्य)	285	पौध	54.84	15629.40
3 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
4 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
5 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
उपयोग				236504.92
6.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		2365.05
6.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		1182.52
6.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		2365.05
6.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		2365.05
6.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		4730.10
चतुर्थ वर्ष का योग				249512.69
पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
उपयोग				220875.52
5.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		1104.38
5.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		4417.51
पंचम वर्ष का योग				233023.67

कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹0)	योग
षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
				उपयोग
				220875.52
5.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		1104.38
5.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		4417.51
				षष्ठम वर्ष का योग
				233023.67
सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
				उपयोग
				220875.52
5.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		1104.38
5.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		4417.51
				सप्तम वर्ष का योग
				233023.67
अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
				उपयोग
				220875.52
5.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		1104.38
5.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		4417.51
				अष्टम वर्ष का योग
				233023.67
नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				
1 देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8.000	है0/माह	1285.50	123408.00
2 निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3 निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8.000	है0	318.62	30587.52
				उपयोग
				220875.52
5.1 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.2 श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8.000	है0		1104.38
5.3 वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.4 कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8.000	है0		2208.76
5.5 अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8.000	है0		4417.51
				नवम वर्ष का योग
				233023.67

9

कार्य का नाम		मात्रा	इकाई	इकाई दर (₹0)	योग
1 वर्ष-अनुरक्षण कार्य (आरम्भ वर्ष)					
1	देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8,000	है0/माह	1285.50	123408.00
2	निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3	निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4	सुरक्षा दीवार/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8,000	है0	318.62	30587.52
	उपयोग				220875.52
5.1	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.2	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8,000	है0		1104.38
5.3	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.4	कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8,000	है0		4417.51
	दशम वर्ष का योग				233023.67
एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)					
1	देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8,000	है0/माह	1285.50	123408.00
2	निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3	निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4	सुरक्षा दीवार/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8,000	है0	318.62	30587.52
	उपयोग				220875.52
5.1	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.2	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8,000	है0		1104.38
5.3	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.4	कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8,000	है0		4417.51
	एकादश वर्ष का योग				233023.67
द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)					
1	देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह	8,000	है0/माह	1285.50	123408.00
2	निराई-गुड़ाई आदि प्रथम बार	8800	पौध	4.06	35728.00
3	निराई-गुड़ाई आदि द्वितीय बार	8800	पौध	3.54	31152.00
4	सुरक्षा दीवार/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	8,000	है0	318.62	30587.52
	उपयोग				220875.52
5.1	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.2	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	8,000	है0		1104.38
5.3	वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी, एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय-1 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.4	कार्यालय व्यय-स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर- 1 प्रतिशत	8,000	है0		2208.76
5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	8,000	है0		4417.51
	द्वादश वर्ष का योग				233023.67
	कुलयोग :-				4201441.98

[Signature]

प्रमाणित वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
पुंगोपेश्वर

C/S

[Signature]

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर


10

25/04/2005
[Signature]

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

[Signature]
[Text]


[Signature]
[Text]



विभाग
दुबई
न. 20

शुभ-राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड दशोली में मोपेवर-मन्दिर मोटर मार्ग से दैतली विरोधीम-सेठुना-बंगाना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.00 हे० वनभूमि के एका में शक्तिपूर्क वृक्षाशेषण हेतु प्रयत्नित भूमि

SOI Toposheet 53N/07



Legend

- Proposed Land
- Protected Area
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

वन क्षेत्राधिकार
बन बोली रज
जय प्रसाद शर्मा
ज्योतिष
बन विभाग वन प्रभाग मोपेवर-मन्दिर
असिस्टेंट इंजीनियर
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
गोपेश्वर

ASSTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR


Scale-1:50,000

Prepared by: I.T.C.C. P.C.C.F. Office, Dehradun




एन०पी०वी वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

विषय :- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी सिरोखोमा-सिटुणा-बैरागना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.00 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी सिरोखौमा-सिटुणा-बैरागना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.00 है. वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन०पी०वी० की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बड़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

14



RD


E Mail :- eepdgp1@gmail.com

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी-सिरोखोमा-सिदुणा-बैरागना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.00 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मन्दिर मार्ग से वैतरणी-सिरोखोमा-सिदुणा-बैरागना तक मोटर मार्ग के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अधिशासी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

(16)

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 29-05-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.85 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Gopeshwar Mandir Marge to Vairani-Sironkhoma-Situna-Bairgana Motor Road, Length 6.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN	Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.85 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure I to - annexure.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Remark

Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.

Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature


जिलाधिकारी

(Ashok Kuniar)

(District Magistrate Chamoli)

DM FRA LETTER

(17)

ANNEXURE

201

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 29.5.2015 at time 14:00/15:00 at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 3.85 Hect of civil land and Van Panchyat forest land for the Construction of Gopeshwar Mandir Marge to Vaitrani Sironkhoma-Situna-Bairgana Motor Road, Length 6.00 Km at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 29.5.2015

Signature



(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
धमोली



DM FRA, U.K.



परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दुरोली में जोपेरुवर-मैफिर
सार्ग से बैतरणी-सिरोखोभा-रिदुणा-बैरागना मोटर मार्ग
निर्माण एवं वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति

प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड दुरोली में जोपेरुवर-मैफिर-सिरोखोभा-रिदुणा-बैरागना
4.00 हे० सिविल वन भूमि निर्माण हेतु 4.00 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु

4.00 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें
उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।


उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत
प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक
कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि उक्त वन भूमि 4.00 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना
निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम समाओ की बैठक की
उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।



[Handwritten signature]



हस्ताक्षर प्रधान

जनपद-चमोली के विकासखण्ड दशोली में जोपेश्वर-
परियोजना का नाग :- मंदिर मार्ग से वैतरणी-सिरोखोभा-सिदुगा-वैशगना
मोटर मार्गनिर्माण हेतु वन भू मिट्टी हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड दशोली में जोपेश्वर मंदिर मार्ग अन्तर्गत से वैतरणी-


सिरोखोभा-सिदुगा-वैशगना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.00 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .
4.00 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें
उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत
प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक
कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि उक्त वन भूमि 4.00 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना
निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की
उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Handwritten signature



प्रपत्र -23.1
 दि. 18.11.2015 को ग्राम सभा सि.सं. 23.1 की बैठक सम्पन्न हुई
 बैठक में निम्नलिखित संस्य समुचित हुए

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हेमलाल सिंह आशिकपुरी म.द.वा.स.स.स.	
2	गणेश सिंह परमार S/o J.A. लखनपुरी	
3	बसुदेव सिंह हरिण-सोनी उवाट रीह	
4	Jugalas Singh	
(4)	Deobank Singh	
5	सत्यो सिंह कनखोला	
6	मोशर सिंह नेगी	
7	गोपाल सिंह खिन्वाण	
8	लक्ष्मण सिंह मदिपाल	
9	जति सिंह परमार	
10	धूर्मीना देवी परमार	
11	चेष्टा परमार	
12	गोवि-6 सिंह मदिपाल	
13	चन्करी देवी मदिपाल	
14	अंगण देवी नेगी	
15	मदन लाल	
16	सचनरिह नेगी	
17	विश्वलक्ष्मी S/o. Chaxi Pishan, Lad.	
18	रेवुका नेगी	
19	शोहन नेगी	
20	दीपक सिंह मदिपाल	
21	नारायण सिंह माननीली	
22	दीपक सिंह मदिपाल	
23	प्रान सिंह परमार	
24	कलम सिंह नेगी	
25	डाय सिंह नेगी	
26	शोभा देवी वाई सपरप लुगाम अछि	

दरबारा

शालवरी देवी

Amank

कमला देवी

शालवरी देवी

चण्डिका देवी

गणेश देवी

राजेश्वरी देवी

शैल देवी

गौहश्वरी देवी

शक्ति देवी

दीरा देवी

देववरी देवी

गंगा

दुर्गा देवी

कालिका देवी

शक्ति देवी

प्रपत्र -23.1

दि. 17.01.2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई
 बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित वार्षिक ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री विवेकेश्वर प्रसाद	विमलेश्वर
2	" बालगोविन्द सिंह	बालगोविन्द
3	" जरेन्द्र सिंह	जरेन्द्र
4	" प्रद्युम्न सिंह	प्रद्युम्न
5	" कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
6	" सचेंद्रक सिंह	सचेंद्रक
7	" भूपाल सिंह	भूपाल
8	" स्वर्णेंद्रक सिंह	स्वर्णेंद्रक
9	" केशव दत्त	केशव
10	" मोहनलाल	मोहनलाल
11	" सुरेश सिंह	सुरेश
12	" स्वर्णेंद्रक सिंह	स्वर्णेंद्रक
13	" गोविन्द सिंह	गोविन्द
14	" जरेन्द्रक सिंह	जरेन्द्रक
15	" बुद्धिलाल	बुद्धिलाल
16	" मंगलेश प्रसाद	मंगलेश
17	" सुवर्णचन्द्रक	सुवर्णचन्द्रक
18	" अमर प्रसाद	अमर
19	" रमेशचन्द्रक	रमेश
20	" हरिप्रसाद	हरि
21	" धीरेन्द्रक सिंह	धीरेन्द्रक
22	" विनायक सिंह नेगी	विनायक
23	" राम सिंह राणा	राम
24	" अमर प्रसाद	अमर
25	" भवाना सिंह	भवाना

प्रपत्र -23.1 दि. 18-11-2015 को ग्राम सभा सिद्धा की बैठक सम्पन्न हुई

बैठक में निम्नलिखित संस्य उपस्थित हुए

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
ताश देवी द्विवेदी	शशि देवी
श्री कुन्दन सिंह द्विवेदी	कुन्दन
श्री विनोद सिंह त्रिवेदी	विनोद
श्रीमती आनारणी देवी	आनारणी
श्री दिलबर सिंह पख्तवाल	दिलबर सिंह
श्री साधो सिंह धरिया	साधो
श्रीमती दिवाली देवी	दिवाली
श्री गोविन्द सिंह धरिया	गोविन्द सिंह
श्री नरेश सिंह धरिया	नरेश
श्री मनोज सिंह धरिया	मनोज
श्री आनन्द सिंह रावत	आनन्द
श्री आश सिंह पख्तवाल	आश
श्री चैत सिंह पख्तवाल	चैत
श्री जगन् सिंह पख्तवाल	जगन्
श्री तान सिंह द्विवेदी	तान सिंह
श्री सुरज सिंह द्विवेदी	सुरज सिंह
श्री पान सिंह द्विवेदी रावत	पान सिंह
श्री लक्ष्मण सिंह बडवाल	लक्ष्मण
श्री चन्द्र सिंह रावत	चन्द्र
श्री राज सिंह रावत	राज
श्री इन्द्र सिंह धरिया	इन्द्र
श्री वरिन्द्र सिंह धरिया	वरिन्द्र
श्री राजेन्द्र सिंह धरिया	राजेन्द्र
श्री लखन सिंह धरिया	लखन
श्री पान सिंह धरिया	पान

(Signature)

